



IBPS

BANK-PO

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा

भाग – 4

बैंकिंग अध्ययन, अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान



(1) बैंकिंग अध्ययन

(1) भारत में बैंकिंग का इतिहास	1
(2) भारत में बैंकिंग की शंख्यना	5
(3) भारतीय वित्तीय तंत्र	32
(4) व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य	38
(5) मौद्रिक एवं शाख नीति	40
(6) नियामक निकाय SEBI, IRDA etc	44
(7) शज़कोषीय नीति एवं बजट (शामान्य एवं वर्तमान)	49
(8) भारतीय पूँजी एवं मुद्रा बाजार	58
(9) भारत की प्रमुख शरकारी योजनायें	65
(10) वित्तीय शमावेशन एवं PSL	70
(11) बेश्ल मानदण्ड क्रेडिट ऐटिंग एजेन्टी	75
(12) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय शंगठन	78
(13) बैंकिंग शब्दावली	89
(14) विविध	105

- देश एवं उनकी मुद्रायें
 - पुस्तक एवं लेखक
 - खेलकूद एवं उनके पुस्तकार
 - महत्वपूर्ण दिवस
 - टीज़र दर
 - गेगोशियेबल इंस्ट्रुमेण्ट्स
 - माइक्रो फाइनेंस
 - अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
 - UNO (अंयुक्त शष्ट्र शंघ)
 - कृषि

(2) आर्थिक वित्त

(1) शामान्य परिचय	122
(2) आर्थिक वित्त के क्षेत्र	123
(3) बाजार आधारित मूल्य निर्धारण	127
(4) राष्ट्रीय आय	127
(5) मुद्रास्फीति	130
(6) बैंकिंग एवं NPA	133
(7) माल एवं लेवा कर (GST)	143
(8) व्यापार नीति एवं FDI	146
(9) विनियम दर	151
(10) वित्त आयोग	153
(11) शार्वजनिक वितरण प्रणाली, M.S.P. एवं ई-कॉमर्स	154
(12) बेरोजगारी एवं गरीबी	157
(13) आर्थिक विकास	159
(14) पंचवर्षीय योजनाएं	161
(15) महत्वपूर्ण तथ्य	163
(3) शामान्य ज्ञान	165

बैंकिंग शैक्षणिक

1. भारत में बैंकिंग का इतिहास (History of Banking in India)

भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास को निम्न छः चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्रथम ऋवर्था (First Phase) (अन् 1806 तक)

7वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय शाहूकारी वित्त व्यवस्था को गम्भीर आघात लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि शाहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थी। अतः इनके स्थान पर धीरे-धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने मुम्बई तथा कोलकाता में कुछ एजेन्टी गृहों (Agency houses) की स्थापना की थी। एजेन्टी गृह आधुनिक बैंकों की भाँति कार्य किया करते थे। इन एजेन्टी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेन्टी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए उपया उदार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप (Deposits) लेना। अतः इनके कार्य के लिए इन एजेन्टी गृहों के बाहरी पूँजी के सहयोग से एलेक्ट्रोडर एण्ड कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किन्तु यह बैंक शीघ्र ही झक्सफल हो गया। इस प्रकार 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेन्टी गृहों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था।

2. द्वितीय ऋवर्था (Second Phase) (अन् 1806 से 1860 तक)

अन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, अन् 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यद्यपि यह, तीनों बैंक मिजी, शीयरहोल्डरों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों) के बैंक थे तथापि तीनों बैंकों की शीयर पूँजी में संरक्षण का भी कुछ हिस्सा था। अतः संरक्षण के लिए बैंकोंपरम्परा नियन्त्रण स्थानीय थी। इन बैंकों की संरक्षण के लिए अधिकार वापस ले लिया। अतः इन बैंकों के कारण संरक्षण द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गए थे। यह बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा दिए गए ऋणों-की समयावधि छः महीने से

अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों का क्रयःविक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर अन् 1921 में इस तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गई और जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ऐसा दिया गया।

3. तृतीय ऋवर्था (Third Phase) (1860 से 1913)

भारत संरक्षण द्वारा अन् 1860 में एक संयुक्त पूँजी कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत, बैंकों का सीमित देयता (Limited Liability) के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत शायदी आपरिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूँजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे-

इलाहाबाद बैंक (1865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), अवध कॉर्सरियल बैंक (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901) सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित अवध कॉर्सरियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक (अन् 1900 तक) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, किन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ अर्थात् 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए बैंकों का जाल-जाल बिछाया गया था। अद्दोलन का मुख्य कारण देश में द्विदेशी आददोलन का प्रारम्भ किया जाना था। इस

आददोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवास्य करना आरम्भ कर दिया था। इसी अवधि में देश के तत्कालीन चार बड़े-बैंकों ऑफ इण्डिया (1906) बैंक ऑफ बडौदा (1908) ऐन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई। और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

4. चतुर्थ ऋवर्था-(Fourth Phase) (अन् 1913 से 1939 तक)

1913 से 1917 काल भारत में बैंकिंग संकट (Banking Crisis) का काल माना जाता है। प्रथम महायुद्ध (1914-18) के प्रारम्भ होने के साथ ही, भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि कारकम अवरुद्ध हो गया। अन् 1913 में अनेक भारतीय बैंक झक्सफल हो गये। भारतीय बैंकों से जनविश्वास लमाप्त होने की

वजह से जमाकरकों द्वारा अपने निषेच प्रारम्भ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। शन् 1917 में उद्योगों को वित्तीय शहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा शैयोगिक बैंक की स्थापना की गई शन् 1921 में तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। बाद में शन् 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया।

तीसा की विश्वव्यापी महान मंडि ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। शन् 1930 में ही केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का युझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबन्ध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। शन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, किन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

5. पंचम अवस्था (Fifth Phase) (शन् 1939 से 1946 तक)

यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन शामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई फलतः कभी बैंकों के निषेच (Deposits) बढ़ गए। युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई-नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए-नए बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत यूनाइटेड कॉर्पोरेशन बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। युद्धकाल में बैंकों की निवेश नीति (Investment policy) में कुछ आधारभूत परिवर्तन हुए थे। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना प्रारंभ कर दिया था। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54% सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद-कोष (Cash Reserves) स्थगने प्रारंभ कर दिए थे। युद्ध के पूर्व वे अपने निषेचों का लगभग

प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रखा करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था।

6. षष्ठी अवस्था (Sixth Phase) (शन् 1947 से अब तक)

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी, 1949 को उसका राष्ट्रीयरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वय नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का नियोजन करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण, क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का नाम 1 जुलाई, 1955 को आंशिक राष्ट्रीयरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8(जो वर्तमान में 5 हैं।) बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया इसका नाम जिन्हें 'स्टेट बैंक समूह' के बैंक कहा जाता है।

ये बैंक निम्नलिखित हैं-

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड-जयपुर (पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेरतथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग-अलग थे। दोनों के कार्य क्षेत्रों में एकलपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ-बीकानेर एण्ड जयपुर में बदल दिया गया।)
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैथुर
5. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवनकोर

उपर्युक्त शात बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का जून 2009 में SBI में विलय करने के निर्णय के फलस्वरूप SBI समूह में पाँच बैंक ही रह जाएंगी।

बैंकों को छोड़ अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से, देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीकरण कर दिया गया, जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रुपए से अधिक थीं। ये बैंक थे-

- (1) शेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) केनरा बैंक, (5) यूनाइटेड कॉर्पोरेशन बैंक, (6) शिंडीकेट बैंक, (7) बैंक ऑफ बडौदा, (8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, (9) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (10) देला

बैंक, (11) इलाहाबाद बैंक, (12) इण्डियन बैंक, (13) इण्डियन ऑवरसीज बैंक, (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

एक दशक पश्चात् 5 अप्रैल, 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंकों का शास्त्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रुपए से अधिक थीं।

ये बैंक निम्नलिखित थे-

(1) आनंदा बैंक, (2) पंजाब एंड रिंग बैंक, (3) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया, (4) विजया बैंक, (5) कॉर्पोरेशन बैंक, (6) ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्सरी।

4 अगस्त, 1993 को लक्ष्मकर ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे शास्त्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई।

चरण	स्थापित बैंक	वर्ष
प्रथम चरण	बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
द्वितीय चरण	बैंक ऑफ बंगाल	1806
	बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
	बैंक ऑफ मद्रास	1843
तृतीय चरण	इलाहाबाद बैंक	1865
	एलाइंस बैंक ऑफ शिमला	1881
	अवध कॉर्पोरेशन बैंक	1881
	पंजाब नेशनल बैंक	1894
	बैंक ऑफ इंडिया	1906
	बैंक ऑफ बड़ोदा	1908
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
	बैंक ऑफ मैसूर	1913
चतुर्थ चरण	झम्पिरियल बैंक	1921
	भारतीय रिजर्व बैंक	1935
पांचवा चरण	यूनाइटेड कॉर्पोरेशन बैंक	
	हिन्दुस्तान कॉर्पोरेशन बैंक	
छठम चरण	भारतीय रिजर्व बैंक का शास्त्रीयकरण	1 जनवरी, 1949
	भारतीय स्टेट बैंक	1955
	भारतीय ऑद्योगिक बैंक	1964
सप्तम	आईआईआईआईआई,	

चरण	एचडीएफटी, एविलेशन, बैंक आदि।	
-----	------------------------------	--

भारतीय वाणिडियक बैंक (Commercial Bank of India)

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के पंजीकृत बैंकों को वाणिडियक बैंक की तर्जा दी गई। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शाखित किया जाता है। वाणिडियक बैंकों से आशय उन बैंकों से हैं जो देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

वाणिडियक बैंकों का वर्गीकरण

(Classification Of Commercial Banks):-

भारत में वाणिडियक बैंकों का वर्गीकरण शैविद्धानिक तथा द्वावित्व के आधार पर किया गया है। शैविद्धानिक आधार पर वाणिडियक बैंकों को अनुशूलित बैंक तथा ग्रै-अनुशूलित बैंकों में विभाजित किया जाता है।

अनुशूलित बैंक (Scheduled Bank):

ऐसे बैंकों को अनुशूलित बैंक की तर्जा दी जाती हैं जिनको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुशूली में लिमिलित किया गया। अनुशूलित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए बैंकों को निम्नवत् शर्तें पूरी करनी होती हैं-

- बैंक की प्रकल्प पूँजी तथा लंबित शशि 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से पूरी तरह अंतुष्ट हो कि इन बैंकों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जमाकर्ताओं का अहित हो।
- यह एक अंयुक्त पूँजी कम्पनी होनी चाहिए न कि एकल व्यापारी अथवाओज़ा फर्मी।

इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपनी जमा का एक मिश्यत अंश भारतीयरिजर्व बैंक के पास नकद रूप से देखना पड़ता है तथा बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास शमय-शमय पर विवरण-पत्र भी भेजना पड़ता है।


अनुशूलित बैंक को निम्नलिखित शुविद्धाएँ प्राप्त हो जाती हैं-

- (1) वह बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- (2) प्रत्येक अनुशूलित बैंक श्वतः ही शमाशोधन गृह की शदृश्यता प्राप्त कर लेता है।
- (3) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनियम पत्रों की पुनर्कठौती की शुविद्धा भी प्रदान करता है, किन्तु इन शुविद्धाओं के बदले अनुशूलित बैंकोंको भारतीय

रिजर्व बैंक के पास उत्तरके (RBI) द्वारा निर्धारित शौश्यांतरणीय नकद कोष रखना पड़ता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आवर्ती विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।


गैर-अनुशूलित बैंक (Non-Scheduled Bank)

गैर-अनुशूलित बैंक ऐसे आशय ऐसे बैंकों से हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुशूली में शमिलित किया गया है। परन्तु यह बैंक वैद्यानिक नकद आक्षण आवश्यकताओं के अधीन है और इनको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार है। गैर-अनुशूलित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उदार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है।



TopperNotes
Unleash the topper in you

2. भारत में बैंकिंग की संरचना



भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। यह वैसे कुछ केन्द्रीय बैंकों में से है जिन्हें अपनी संस्था का इतिहास लिखा। ऊब तक, बैंक ने अपने इतिहास के चार खंड प्रकाशित किए हैं। 1935 से 1951 तक की अवधि के लिए पहला खंड 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसमें भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना के लिए की गई पहल का विवरण दिया है और इसमें रिजर्व बैंक के प्रारंभिक वर्ष शामिल हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध और अवंत्रता के बाद के दौर की उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनका शामना रिजर्व बैंक और सरकार को कठना पड़ा

1951 से 1967 की अवधि से सम्बन्धित दूसरा खंड 1998 में प्रकाशित किया गया था। इस अवधि में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। इस खंड में देश की आर्थिक और वित्तीय संस्थानों को मजबूत, संशोधित और विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।

18 मार्च, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया जो 1967 से 1981 तक की अवधि से सम्बन्धित है। 1969 में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे देश के भीतरी इलाकों में बैंकिंग का प्रशार किया गया।

17 अगस्त 2013 को रिजर्व बैंक के इतिहास के चौथे खंड का विमोचन भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इसमें 1981 से 1997 तक के 16 वर्षों का घटनाक्रम है और इसे दो भागों, भाग ए और भाग बी में प्रकाशित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में -

स्थापना -

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।

रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुम्बई में स्थानान्तरित किया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं।

यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

प्रस्तावना -

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं -

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकगति के निर्माण को विनियमित करना तथा प्रारंभिक निधि को बनाएं रखना और शामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचारित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपत्ति के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क स्थापना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य विस्थारण बनाए रखना”

केन्द्रीय बोर्ड - रिजर्व बैंक का कामकाज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शारिरत होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।

- नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिए होता है।
- गठन -
 - ❖ सरकारी निदेशक
 - ❖ पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकारी चार अप गवर्नर
- गवर्नर-सरकारी निदेशक
 - ❖ सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
 - ❖ अन्य : चार निदेशक - चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक दो एक

स्थानीय बोर्ड

- देश के चार क्षेत्रों, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक-एक
- शहरता
- प्रत्येक में पांच शहरता
- केंद्र अटकार द्वारा नियुक्त
- चार वर्ष की अवधि के लिए

कार्य - स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को शलाह देना और स्थानीय शहरता तथा घरेलू बैंकों की प्राधेशिक और आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना, केंद्रीय बोर्ड द्वारा शमय-शमय पर लोपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।

वित्तीय पर्यवेक्षण

रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवम्बर 1994 में की गई थी।

उद्देश्य

वित्तीय पर्यवेक्षण (बीएफएस) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बैंक-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं लाहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है।

गठन

इस बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को शायोजित शहरता के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष है। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इसके पढ़ने शहरता है। एक उप गवर्नर, सामान्यतः बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर की बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

बीएफएस की बैठकें

बोर्ड की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है। इस बैठक के दौरान पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत नियोक्ता रिपोर्ट और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार किया जाता है।

लेखा-परीक्षा उप समिति के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की शांविधिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विचार करता है। इस उप

लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड के दो निदेशक इसके शहरता होते हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएजबीएस) और वित्तीय संस्था प्रभाग (एफआईडी) के कार्य-कलापों का नियोक्ता करता है और नियमन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी मामलों पर निर्देश जारी करता है।

कार्य -

बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किये गए प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं -

- I. बैंक नियोक्ता प्रणाली की पुनर्गठन
- II. कार्यस्थल से दूर की निगरानी का लागू करना,
- III. शांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को तुदृढ़ करना और
- IV. पर्यवेक्षण संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का तुदृढ़ीकरण।

वर्तमान लक्ष्य

- वित्तीय संस्थाओं का नियोक्ता
- समेकित लेखाकार्य
- बैंक शोखधड़ी से सम्बन्धित कानूनी मामले
- अनर्डक अधिकारी के निर्धारण में विविधता
- बैंकों के लिए पर्यवेक्षी ट्रेनिंग मॉडल

विधिक ढांचा

सर्वोच्च अधिनियम

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 : रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है।
- बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 : वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है।

विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम

- लोक ऋण अधिनियम, 1944/शरकारी प्रतिश्रूत अधिनियम (प्रस्तावित) : शरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण
- भारतीय शिक्का अधिनियम, 1906 : मुद्रा और शिक्कों पर नियंत्रण
- विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 : व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण

बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम

- कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 : कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण
- बैंकिंग कंपनी (उपकरणों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1080 : बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सम्बन्धित
- बैंकर बहि शाक्य अधिनियम, 1891
- बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम
- परकार्य लिखत अधिनियम, 1881

अलग-अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम

- भारतीय एटेट बैंक अधिनियम, 1954
- औद्योगिक विकास बैंक (उपकरण का अंतरण और नियन्त्रण) अधिनियम, 2003
- औद्योगिक वित निगम (उपकरण का अंतरण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1993
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम
- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम
- निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम

प्रमुख कार्य

मौद्रिक प्राधिकारी

- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
- उद्देश्य - विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य रिस्ट्रेट बनाए रखना।

वित्तीय प्रणाली का विनियामक पर्यवेक्षक

- बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- उद्देश्य - प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमार्कर्डों के हितों की रक्षा करना और भारत जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।

विदेशी मुद्रा प्रबंधक

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- उद्देश्य - विदेश व्यापार और शुगताव को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना।

मुद्रा जारीकर्ता

- करेंटी जारी करता है और उसका विनियम करता है अथवा परिचालन के योग्य गही इन पर करेंटी और शिक्कों को नष्ट करता है।
- उद्देश्य - भारत जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंटी गोटों और शिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना।

विकासात्मक भूमिका

- राष्ट्रीय उद्देश्यों की शहायता के लिए व्यापक रूप पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।

सम्बन्धित कार्य

- शरकार का बैंकर : केन्द्र और राज्य शरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अद्वा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है।
- बैंकों के लिए बैंकर : अभी अनुशृति बैंकों के बैंक खाते रखते हैं।

कार्यालय

- 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 04 उप कार्यालय हैं जिनमें अधिकांश राज्यों की शाजमानियों में स्थित हैं

प्रशिक्षण संस्थान

पांच प्रशिक्षण संस्थाएं हैं -

- दो संस्थाएं नामतः कृषि बैंकिंग महाविद्यालय रिजर्व बैंक के छांक हैं।
- अन्य एवायत संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इंडिया गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईआईआरडीआर), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईआरबीटी)

प्रशिक्षण संस्थाओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया उनके वेबसाइट लिंग देखें जो अन्य लिंकों में उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- शन् 1925-26 ई. में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने शरकार को बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति को शुद्ध बनाने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए।
- इम्पीरियल बैंक अफ इण्डिया जिसकी स्थापना शन् 1921 ई. में गयी थी, पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक-का-कार्य गही कर रहा था। गोट छापने का

श्रधिकार शरकार को था। और बैंकों के बैंक (Banker's Bank) की हैटियत से इम्पीरियल बैंक ही कार्य करता था।

- इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करता था। अतएव अन्य को इस पर विश्वास नहीं रखने के कारण इसी केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं था।
- इम्पीरियल बैंक के लिए संभव नहीं था कि वह केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के साथ-साथ साथारण बैंकिंग के कार्य भी कर सके। इसका संचालन-मण्डल यह मानने को तैयार नहीं था कि इम्पीरियल बैंक साधारण बैंकिंग-कार्य को छोड़ दे।
- मुद्रा तथा साख पर शरकार एवं इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण दोषपूर्ण था और इसके लिए केन्द्रीय बैंक का होना अत्यन्त आवश्यक था। ऐसी स्थिति में शरकार ने भी अनुशब्द किया कि एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए। शन् 1934 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार अप्रैल, 1935 ई. को रिजर्व बैंक ने अंशाधारियों के बैंक के रूप में अपनाकार्य शुरू किया।
- 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण के साथ ही बैंकिंग नियमन 'श्रधिनियम' पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियन्त्रण लेने का विस्तृत श्रधिकार प्राप्त हो गया।
- आर. बी. आर्ड. की स्थापना 5 करोड़ रुपये की श्रधिकृत पूँजी के साथ हुई। इसमें भारत शरकार का शेयर 5 प्रतिशत था और शेयर पूँजी 5 करोड़ (जोकि जब तक है) की थी।
- यह बैंक वास्तविक तौर पर 35 समय के बेहतर विदेशी केन्द्रीय बैंकों के मॉडल पर शेयर पूँजी 5 करोड़ रुपये का 100 रुपये मूल्य के 5 लाख के शेयरों में बांटा गया।
- प्रारम्भ में, केन्द्रीय शरकार को आवंटित 2,200 शेयरों को छोड़कर बाकी शेष सभी निजी शेयर धारकों के थे।
- फरवरी 1947 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (ट्रांसफर ट्रॉफिक ऑग्रिशिप) श्रधिनियम 1948 के अनुसार सम्पूर्ण शेयर पूँजी केन्द्रीय शरकार को हस्तान्तरित मान ली गयी।
- 1 जनवरी, 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र का संस्थान हो गया। 1948 का श्रधिनियम केन्द्रीय

शरकार को यह श्रधिकार देता है कि वह जनता के हित के लिए इस बैंक को मिर्देश दे सकती है।

- भारत में अक्टूबर से मई तक का समय व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल होता है और इस समय मुद्रा की माँग श्रधिक होती है। रिजर्व बैंक इस श्रवण में मुद्रा के प्रचलन की मात्रा को बढ़ाता है। मई से अक्टूबर तक मुद्रा की माँग में कमी होती है, क्योंकि यह व्यापार में कमी का काल होता है। इस मंदी काल में रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा में कमी करता है।
- जून, 1948 तक RBI ने पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था।
- 4 जनवरी, 1935 : भारतीय रिजर्व बैंक के शेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की पहली बैठक कोलकाता में हुई।
- 1 अप्रैल 1935 : शेयर धारकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ। लर सिर्सोर्स एस. स्मिथ (Sir Osborne S. Smith) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आरंभ में 'बैंक कुछ विभागों के साथ शुरू हुआ जैसे- गोटों का मिर्गमन, बैंकिंग कृषि साख विभाग, लोक ऋण कार्यालय, जमा खाता और शेयर हस्तान्तरण विभाग'
- 18 मार्च 1937 : आर. बी. आर्ड ने बर्मा शरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया और 18 मार्च का बर्मा सैट्रिक प्रबंध आदेश 1937 के अनुसार बर्मा में गोट भी जारी किया।
- दिसम्बर 1937 : रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय स्थायी रूप से कलकत्ता से बर्मई हस्तान्तरित किया गया।
- जनवरी 1938 : रिजर्व बैंक ने अपने कर्टेशी गोट जारी किये।
- 12 जनवरी, 1946 : ₹500, ₹1000 और ₹10,000 के बैंक नोट को demonetize किया गया।
- जनवरी 1947 : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन का प्रकाशन आरम्भ किया गया।
- मार्च 1947 : विदेशी मुद्रा वित्रिमय एक्ट 1947 (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) पास हुआ।
- 31 मार्च, 1947 : भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया।
- RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उद्यारियों का कम-से-कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है तथा इसमें से 18% भाग बैंकों से कृषि को उपलब्ध कराना होता है। जो बैंक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं उनके विरुद्ध RBI

अद्यत कार्यवाही भी कर लकता है। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त बैंकों को 32% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

(State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक के उद्यय की शुरुआत उन्नीशवीं शती के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ तीन वर्ष बाद इस बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और उसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पैंडी बैंक था जिसे बंगाल अंकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के उपरान्त बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 15 अप्रैल 1840 की तथा बैंक ऑफ मुद्रास की स्थापना 1 जुलाई, 1843 की की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी, 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का गठन किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक का उद्यय (Rise of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का अभ्युदय 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीकरण के फलस्वरूप हुआ। अगस्त 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित भारतीय ग्रामीण शाखा सर्वेक्षण समिति की अनुशंसा पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीकरण किया गया।

1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) शाधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववर्ती राज्यों के सात शहरोंगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव शामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध किए गए 7 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक निम्नवत हैं-

बैंक का नाम	सहायक बैंक के रूप में कार्य आरंभ करने की तिथि
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1 अक्टूबर, 1959
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ झौराष्ट्र	1 मई, 1960
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1 अप्रैल, 1960
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 मार्च, 1960
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1 जनवरी, 1960

सहायक बैंकों के रूप में इन बैंकों का पृथक अस्तित्व बनाये रखने का एकमात्र कारण 'अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति' ही था। 1 जनवरी, 1963 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को एकीकृत कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में ही है। वर्तमान में सभी शाखाओं का विलय करके SBI एक बैंक बन गई है।

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन (Management Of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन एक 20 सदस्यीय केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। बैंक के केन्द्रीय संचालक मण्डल में एक छह्यका तथा 2 प्रबंध निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्र शरकार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से करती है। केन्द्रीय संचालक मण्डल के 6 सदस्य केन्द्र शरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के कार्य (Operations Perform By State Bank Of India)

स्टेट बैंक का प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1. बैंकों के बैंक के रूप में कार्य- बैंकों के बैंक के रूप में स्टेट बैंकनिम्नलिखित कार्य करता है-
 - यह व्यापारिक बैंकों से जमाएँ स्वीकार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है।
 - यह व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है।
 - यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों के लिए सामाजिक गृह का कार्य करता है।

2. रिजर्व बैंक का एजेण्ट (Agent of Reserve Bank)

रिजर्व बैंक की अनुमति से स्टेट बैंक उसके एजेण्ट का कार्य कर लकता है। एजेण्ट के रूप में यह रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित कार्य करता है उसके लिए वह कमीशन भी प्राप्त करता है। यह उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक अपने स्थापना के वर्ष (1955) से ही रिजर्व बैंक के एजेण्ट का कार्य कर रहा है।

3. ऋण देना (Lending)

स्टेट बैंक का द्वारा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य व्यापारियों का अल्पकालीन ऋण देना है ये ऋण शामाजिक: माल, सम्पत्तियों तथा प्रतिश्रूतियों की जमानत पर-

नकद शाखा द्वारा, अधिविकर्ष द्वारा तथा हुण्डियों द्वारा दिये जाते हैं।

4. जमाएँ रखीकर करना (Accept Deposits)

स्टेट बैंक झन्य वाणिडियक बैंकों की भाँति जनता से विशिष्ट प्रकार की जमाएँ रखीकर करता है। झन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक भी चालू खाता, इथायी जमा खाता, शंचित खाता, बचत खाता आदि खाते खोलकर जनता की जमाओं को आकर्षित करता है। इनके द्वारा भी व्यापारिक बैंकों की भाँति ब्याज दिया जाता है।

5. ग्रामीण शाख का विकास (Development of Rural Credit)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण शाख के विशिष्ट झंगों का विकास करना है। अतः यह बैंक शहकारी बिक्री और गोदाम व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयत्न करता है।

6. ग्रामीण बचत का संग्रह करना (Collecting Rural Savings)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञाधिक शाखाएँ खोलकर उनकी बचतों का संग्रह करना है तथा ग्रामीण जनता में बचत करने की भावना को प्रेरित करना है।

7. अग्रिमोपन (Preferentiality) स्टेट बैंक द्वारा झंशों, ऋण-पत्रों तथा विशिष्ट प्रकार की प्रतिश्रूतियों का अभिगापन किया जा सकता है।

8. सम्पत्ति की सुरक्षा (Security Of Assets) स्टेट बैंक अपने ग्राहकोंद्वारा जमा कराई गई मूल्यवान वस्तुएँ (झंश, ऋण-पत्र, सोना, तेबर आदि) सुरक्षागृह में रखने की व्यवस्था कर सकता है।

9. ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य (Work as Customers Agent)

स्टेट बैंक अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में धन का हस्तान्तरण, भुगतानप्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, झंशों और प्रतिश्रूतियों का क्र्य-विक्र्य करना, ग्राहकों के लिए पालेपोर्ट की व्यवस्था करना, ट्रस्टी का कार्य करना, ग्राहकों को आर्थिक खलाह देना आदि अनेक कार्य करता है।

10. प्रतिश्रूतियों में विनियोजन (Appropriation in Securities)

झन्य व्यापारिक बैंकों की तरह भारतीय स्टेट बैंक अपने को ज का शरकारी प्रतिश्रूतियों, राज्य शरकार की प्रतिश्रूतियों, कॉर्पोरेशन की प्रतिश्रूतियों तथा शरकारी ट्रेजरी में भी विनियोग करता है।

11. रकमों की वसूली (Recovery of Assests)

ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रतिज्ञा-पत्र, ऋण-पत्र, झंश आदि की रकमें वसूल करके ग्राहकों के खातों में जमा करता है।

12. शाख-पत्रों को जारी करना तथा धन इथातातरण सुविधा(Issuance of Letter of Credit and Money Transfer Facility)

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देशी-विदेशी ट्राफट, शाख-पत्र आदि लिख लकड़ा हैं और तार द्वारा रकमें भेजने का प्रबन्ध कर सकता है।

13. झन्य कार्य (Other Work)

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्टेट बैंक निम्नलिखित शामान्य बैंकिंग के कार्य भी करता है -

भी करता है- (1) सोने व चाँदी का क्रव करना, (2) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, (3) यात्री चेक जारी करना (4) लघु उद्योगों एवं शहकारी समितियों को उदार शर्तों पर विशेष ऋण सुविधा देना, (5) किशानों को प्रत्यक्ष ऋण देना, (6) प्रन्यासी या ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, (7) भारत के बाहर शोधनीय विनियम-पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट आदि।

14. बिल (Bill)

स्टेट बैंक बिल लिखने, रखीदाने बेचने तथा कटौती करने का कार्य कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा (Life Insurance) कारोबार में पहले से ही शुरू है। जीवन बीमा कारोबार के लिए प्रांत की कार्डिफ एस. ए. (Cardif S.A.) के साथ गठबन्धन कर एसबीआईलाइफ (SBI Life) नाम से अपनी अनुजंगी कम्पनी का गठन 2001 में इसने किया था। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यहदेश का पहला वाणिडियक बैंक था। स्टेट बैंक की एसबीआईलाइफ में 74 प्रतिशत शेयर-पूँजी हैं।
- वर्तमान में द्वयं शहायता लम्ह शेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका है। यह देश का पहला वाणिडियक बैंक है जिसे नाबार्ड (NABARD) ने द्वयं शहायता प्रोजेक्ट शरणार्थी का दर्जा दिया है। द्वयं शहायता लम्हों के शरणार्थी के लिए आवास मिशन की एक अभियान योजना- 'शहयोग मिवास' भारतीय स्टेट बैंक ने ही प्रारम्भ की है।
- ग्राहक शेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जुलाई, 2010 को अपने इथापना दिवस पर 'श्रीन बैंकिंग चौतल' सुविधा अपनी चुनिंदा

शाखाओं में शुरू की है 'ग्रीन बैंकल काउंटर पर बैंक के ग्राहक धन जमा करने (Deposits) एवं धनकी निकासी (Withdrawals) की 'प्रैपरलैंस' सुविधा उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Banks)

**आईडीबीआई बैंक
(IDBI BANK)**



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : जुलाई, 1964
मुख्यालय (The Headquarters) : मुम्बई

• आईडीबीआई बैंक एक युनिवर्सल बैंक है जो एक श्रेष्ठ कोर्ट बैंकिंग शूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफार्म का प्रयोग कर रहा है यह बैंक देश भर के विभिन्न केन्द्रों में फैली अपनी कई शाखाओं और एटीएम के विशाल नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ तथा वित्तीय समाधान प्रदान करता है। आईडीबीआई ने दुबई में भी अपनी विदेशी शाखा खोली है तथा वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए विदेश में भी शाखाएँ खोलने की इच्छा योजना है।

इसका वित्तीय बाजारों का अनुभव इसी चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में लक्ष्य राहभागिता करते हुए भावी अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।

संकल्प (Oath)

• सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए अबाई परामर्शदाता और विश्वसनीय बैंक बनाना।

द्येय (The Goal)

• अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक शृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना।
• कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए इंटरेटेल क्लीन में अपनी पहुँच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन सेवन करना।
• नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉर्पोरेट अभियान के लिए आदर्श महडल बनाना।

- कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खातउत्तरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोगकरण
- कर्मचारियों को अधिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्धमानव संसाधन तैयार करने के लिए शकारात्मक, शक्तिय एवं कार्य-निष्पादनशाधारित कार्य-संरक्षण को प्रोत्ताहित करना।
- विश्व लंतर पर पहुँच को बढ़ाना।
- हरित संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करना।

आईडीबीआई के गठन के सम्बन्ध में जानकारी (Information Regarding IDBI Bank Formation)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank Of India)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) का मठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत शरकार द्वारा जारी 22 जून, 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से अस्तित्व में आया। इसी कम्पनी अधिनियम, 1956 की दारा 4ए के प्रावधानों के अन्तर्गत एक लार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। 2004 तक यांती, 40 वर्षों तक इसने वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका स्वामतरण एक बैंक के रूप में हो गया।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (Industrial Development Bank Of India Ltd.)

आवश्यकता महसूस होने और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर आईडीबीआई को बैंक के रूप में स्वामतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को निरस्त करते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (उपक्रम का अनुसार व निरस्त) अधिनियम, 2003 (निरस्त अधिनियम) पारित किया गया। निरस्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अधीन 27 दिसंबर, 2004 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी शरकारी कम्पनी के रूप में निर्गमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से का उपक्रम आईबीआई (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी शरकारी कम्पनी के रूप में निर्गमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से आईबीआई का उपक्रम के आईडीबीआई लि. में अंतरित व गिहित कर दिया गया। निरस्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आईडीबीआई लि. वित्तीय संस्था

की अपने पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई. लि. में विलय (Merger Of IDBI Bank Ltd. With IDBI Ltd.): बैंक की इनओर्गेनिक वृद्धि के लक्ष्य को पाने के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44 ए के प्रावधानों के तहत इसमें दो बैंकिंग कम्पनियों के इच्छिक शमामेलन का प्रावधान है, आईडीबीआई लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली कंस्था आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में शमामेलन कर लिया गया। यह विलय 02 अप्रैल, 2005 से प्रभावी हो गया।

यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय (Merger Of United Western Bank Ltd. With IDBI Ltd.): शतारा में केंद्रित निजी क्षेत्र के बैंक-दि-यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक्षम्भन के अन्तर्गत रखा था। अपनी इनओर्गेनिक वृद्धि में और तेजी लाने के मकान दो आईडीबीआई लि. द्वारा उक्त बैंक का अधिग्रहण करने की इच्छा प्रकट किये जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत लकार ने यूडब्ल्यूबी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत आईडीबीआई लि. में शमामेलित कर दिया। यह विलय 03 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ।

आईडीबीआई लि. का नाम आईडीबीआई बैंक लि. में परिवर्तित (Ltd's Name Changed to IDBI Bank Ltd.)— इस उद्देश्य से कि बैंक के नाम से इसके द्वारा किये जा रहे कार्य रूप से झलकें, बैंक का नाम बदल कर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यह नया नाम कम्पनी 25 अक्टूबर, 1980 के दिन द्वारा निगमन प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के साथ ही 07 मई, 2008 से प्रभावी हो गया है। तद्विशार, बैंक अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मौजूदा नाम के साथ कार्य कर रहा है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मर्स (Oriental Bank of Commerce)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1943 (लाहौर में)
संस्थापक (Founded By): रामबहादुर लाल शोहनलाल
राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980
मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मर्स आठत में शार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है जिसे 19 फरवरी, 1943 को लाहौर में स्थापित किया गया।

- ओरियन्टल बैंक ऑफ देहरादून और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढाँचे पर बनाई गई। इस योजना में 75 (2 अमेरिकी डॉलर) व इससे अधिक राशि के छोटे क्रहों का संवितरण करने की अनुठी विशेषता है।

- ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएँ हैं बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह इथानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से ज्यारहौंस इत्यादि बना सकें। इससे ग्रामीणों को एवं दो दो योजनाएँ हुए हैं और उनकी ज्ञाय में वृद्धि होने से उनके जीवन अवधि में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की भी बढ़ावा मिला है।

- ओबीटी ने बैंकाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल, 1997 को पंजाब केतीन गाँवों रुडकी कलान (जिला दंगरुर), राजे माजरा (जिला रोपड) और खेंद्री माज्जा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गाँवों—खुंगा (जिला जीद) और गरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनुठी योजना आरम्भ की।

- पायलट अधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त शफल हुई। इसकी शफलतारी उत्पादित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गाँवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गाँवों में लागू है जिसमें 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में हैं।

- इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केंद्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्रामवित प्रदान करने हेतु व्यापक और अमेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गाँव के प्रत्येक किशान की ज्ञाय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लाहायता प्रदान करता है।

- बैंक ने महिलाओं को क्रह देने में तेजी लाने के लिए 14 शूरीयकार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषज्ञता शाखाओं के रूप में नामित किया है।

14 अगस्त, 2004 को निजी क्षेत्र के अब्दानी बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मर्स में विलय किया गया।

कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year)

12 मार्च, 1906

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरु (कर्नाटक)

- कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन(उड्डीपि)लिमिटेड केनाम से उड्डीपि के महिदर-शहर में क्रांतदर्शियों के एक समूह के पुरोगामी प्रयत्नों से हुई। बैंक ने इपना प्रारंभ 5000 से किया था तथा पहले दिनकी समाप्ति पर 38 खपये 13 आगा 2 पाई था।
- लोगों की दीर्घकालिक बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बचत कीआदत शी डालने के लिए प्रतिबद्ध संस्थापक ऋष्यक्ष खान बहादुर हाजीझबुल्ला हाजी कारिम शाहेब बहादुर ने समाज में शृंद्धि लाने वाली वित्तीयसंस्था की संस्थापना पर झट्टियां जोर दिया।
- बैंक की पहली शाखा कुंदपुर में 1923 में खोली गई, तत्पश्चात् मंगलूरुमें 1926 में दूसरी शाखा खोली गई।
- बैंक ने 1934 में मडिकेरी में इपनी शातवी शाखा खोलते हुए तत्कालीनकूर्य राज्य में कदम २५वा बैंक को 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक आधिगियम, 1934 की दूसरी अनुशूली में शामिल किया गया।
- 1939 में बैंक का नाम केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन (उड्डीपि) लिमिटेड से 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में परिवर्तित किया गया तथा आदर्श-वाक्य 'सर्वे जना शुश्विनो भवन्तु' जिसका अर्थ है 'सभी जन शुश्वी रहे' को इपने दर्शन के रूप में पेश किया गया।
- बैंक के नाम में दूसरा परिवर्तन 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' शेडोडना कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड' 1972 में हुआ तथा 15 अप्रैल, 1980को बैंक के राष्ट्रीयवरण के बाद 'कॉर्पोरेशन बैंक' हो गया।
- इन शब के बीच में वर्ष 1985 में बैंक ने 1000 करोड रुपया का लक्ष्य पार किया तथा 1990 से नई प्रौद्योगिकी को इपनाते हुए उच्च गुणवत्तायुक्तशृंद्धि पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ किया।

- भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार के प्रथम चरण की समाप्ति में बैंक आस्ट्रित, गुणवत्ता, पूँजी पर्याप्तता, परियालनगत समक्षाता, सुविविधीकृत आयआधार, लाभप्रदता, उत्पादकता तथा सुदृढ़ तुलन-पत्र में अन्य बैंकों से आगेबढ़े हुए शार्वजनिक क्षेत्र में शब्दी नवोन्मेजी तथा शक्तिय बैंक के रूप में उभर रहा है।
- दुर्बई तथा हांगकांग में बैंक के प्रतिगिर्दि कार्यालय हैं। संप्रति बैंक का देशभर में 1361 पूर्णतः स्वचालित शीबीएस शाखाओं, 1250 एटीएमों तथा 2500 शाखा शहित बैंकिंग इकाइयों का नेटवर्क है। बैंक ने इगले पाँच वर्षों में 700 नई शाखाएँ खोलने की योजना शी बनाई है। बैंक ने 2500 माँवोंमें शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ प्रारंभ की हैं तथा इन गाँवों के सभी खाताधारकों को इमार्ट कार्ड जारी किया है ताकि वे बैंक द्वारा मियुक्तकारीबार शाथी के द्वारा इपनी दहलीज पर इपने खाते परिवालित कर सकें।

विजया बैंक

(Vijaya Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year)

23 अक्टूबर, 1931

संस्थापक (Founded By): ए. बी. शेष्टि

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरु (कर्नाटक)

- स्वर्गीय ए.बी. शेष्टि और अन्य उद्यमशील किशानों ने 23 अक्टूबर, 1931 को कर्नाटक राज्य के मंगलूर शहर में विजया बैंक की नीब डालीइके संस्थापकों का मूल उद्देश्य था, कर्नाटक राज्य के दक्षिण में कनडाजिले के किशान समुदाय में बैंकिंग की आदत डलवाना, मितव्ययिता कामहत्व समझाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। 1958 में विजया बैंकएक अनुशूलित बैंक बना।
- 1963-68 के दौरान नौ छोटे-छोटे बैंकों के विलयन के साथ विजया बैंक, शीरि-शीरि अखिल भारतीय रेतर के एक बहुत बड़े बैंक के रूप में उभारिलय प्रक्रिया को सफलता से अमल में लाने और बैंकों की तरक्की के रास्ते पर लाने का श्रेय एम. शुंदर राम शेट्टी की मिलना चाहिए जो ३८ समय बैंक के मुख्य कार्यपालक थे। 15 अप्रैल, 1980 को बैंक का राष्ट्रीकरण हुआ।

- देश भर में बैंक के तमाम 28 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में तथाजुलाई 2007 को बैंक की 985 शाखाएं, 52 विद्युत काउंटर, 171ए.टी.एम, हैं।
- बंगलुरु में एटीएम की शुरूआत कर्वपथम विजया बैंक ने की थी।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(Punjab & Sind Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : 1908

राष्ट्रीयकरण (Nationalization) 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली
वर्ष 1908 में जब आई वीर रिंग, सर फुन्डर रिंग मज़िठिया तथा शहदार तिरलोचन रिंग जैसे दूरदर्शी तथा विद्वान व्यक्तियों के मन में देश के गरीब ऐगरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने का विचार आया तब पंजाब एण्ड सिंध बैंकका उनम हुआ बैंक की स्थापना लमाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के आर्थिकउत्थान द्वासा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु शासाजिक वयनबद्धता केशिछानतों पर की गई। 100 वर्ष बीत जाने पर भी आज पंजाब एण्ड सिंध बैंकज़पने संस्थापकों की शासाजिक वयनबद्धता को पूरा करने के लिए प्रशिद्ध हैं।

आन्ध्रा बैंक

(Andhra Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year)

20 नवम्बर, 1923



संस्थापक (Founded By): डॉ. बी. पट्टाभि शीतारमैया

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

- आन्ध्रा बैंक प्रमुख स्वतन्त्रता लोगों एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली डॉ. भोगराजुपट्टाभि शीतारमैया द्वारा स्थापित किया गया बैंक को 20 नवम्बर, 1923को पंजीकृत किया गया और 1.00 लाख की प्रदत्त पूँजी एवं 10.00 लाखकी प्राधिकृत पूँजी के साथ 28 नवम्बर, 1923 को व्यापार प्रारम्भ किया गया।

- अनन्तता का रिस्कल यह सूचित करता है कि बैंक ग्राहकों के लिए कुछ श्रीकरण के लिए तैयार हैं। शीर्ष का नीलासुचक बैंक के उत्तर दर्शन का प्रतीक है जो राष्ट्रवाद विकास एवं नई दिशाओं की ओर बढ़ा चाहता है। कुंजीछिद्र निरापद तथा सुरक्षा का सूचक है। शृंखला मैत्री को इंगित करता है। लाल एवं नीला रंग गतिशीलता एवं सुदृढ़ता के मिश्रण को इंगित करता है।

- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
- ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(Bank of Maharashtra)

स्थापना वर्ष (Establishment Year):

1935

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): पुणे (महाराष्ट्र)



- 1936 में पुणे में बैंक के परिचालन का प्रारम्भ हुआ बैंक की दूसरी शाखा 1938 में फोर्ट, मुम्बई में खोली गई। 1940 में बैंक की तीसरी शाखाडेक्कन डिम्बागा, पुणे में शुरू हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1944 में अनुशूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।

- 1964 में इसकी जमातशियों ने एक करोड रुपए की दीमा पार की पूरीतरह और अपने त्वामित्व में एक शहायक कम्पनी दी महाराष्ट्र एकिजक्यूटरएण्ड ट्रस्टी कम्पनी गठित की। महाराष्ट्र के बाहर की पहली शाखा हुबली (मैसूर शहर, कर्नाटक) में खोली गई।

- 1949 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश में विद्युत हुआ और हैदराबादशाखा खोली गई। 1963 में गोवा में विद्युत के रूप में पणजी शाखा खोली गई। 1966 में मध्य प्रदेश में विद्युत हुआ और इन्दौर शाखा खोली गई। इसके बाद बैंक का गुजरात में प्रवेश हुआ और बडोदरा शाखा खोली गई।
- 1969 में झन्य 13 बैंकों के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण होगया। 1969 में ही करोल बाग शाखा खोलकर बैंक ने दिल्ली में प्रवेश

किया। 1974 में इसकी जमाराशियों ने ₹. 100 करोड़ का लक्ष्य पार किया।

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1976 में मराठवाडा ग्रामीण बैंक के नाम से पहलाक्षीत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयोजित किया। 1978 को प्रधानमन्त्री मोरारजी देशार्थी द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। आठही इसी वर्ष बैंक की जमाराशियों ने ₹.500 करोड़ का लक्ष्य पार किया।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1979 में अनुशंशान तथा विस्तृत कार्य शुरू करनेएवं किसानों की अधिक विस्तृत लेवाएँ प्रदान करने के लिए महाराष्ट्रकृषि अनुशंशान और ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (महाबैंक एथीकल्चर रिसर्च एण्ड सरल डवलपमेन्टफाउंडेशन) नामक शार्वजनिक न्यायी संस्थापित किया। इसके 6 शाल बाद 1985 में महाराष्ट्र शास्त्र की 500वीं शाखा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों नरीमन पाइंट, मुम्बई में खोलीगई।
- 1986 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ठाणे ग्रामीण बैंक को प्रयोजित किया। 1987 में पुणे में बैंक की 1000वीं शाखा इन्दिरा वसाहत, बिवेवाडी में भारत के उप राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के हाथों खोली गई। 1991 में शाहबैंक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, घरेलू क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश किया गया, मेन फ्रेम कम्प्यूटर संस्थापित किया गया और एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. (रिप्पर्ट) का शुद्धय बन गया।
- 1995 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हीरक जयन्ती मनाई गई। इसी शाल बैंककी जमाराशियों ने 5000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 1996 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले 'की' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में दाखिल हुआ और इसी व्यायताता प्राप्त हुई।
- 2000 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जमाराशियों ने 10,000 करोड़ का लक्ष्यपार किया। 2004 में इसके शेयर्स का शार्वजनिक निर्मम किया गयाबी.एस.ई.ओर एन.एस.ई. में शुर्योदय हुए बैंक का शार्वजनिक

निर्मम द्वारा 24% का श्वामित्व हस्तान्तरित किया गया।

- 2005 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंकाशुरेन्स और म्युचुअल फंड वितरणव्यवसाय शुरू किया। 2006 में इसके कुल व्यवसाय का अंतर 50,000 करोड़ पार कर गया। 2006 में ही बैंक में शाखा शीबीएस परियोजनाप्राप्ति की गई।
- 2009 में बैंक ने शास्त्र की क्षमर्पित लेवा के 75वें वर्ष में प्रवेश किया। इसके लिए 75 अल्प विकसित देशों को अंगीकृत किया गया। 2010 में 100 प्रतिशत शीबीएस शाखाओं का लक्ष्य हासिल किया गया। इसी शाल बैंक के कुल व्यवसाय में एक लाखकरोड़ रुपए का लक्ष्य पार किया। 2010 तक बैंक की कुल शाखा संख्या 1506 हो गई।
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- वेनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

इंडियन ऑवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)



संस्थापना वर्ष (Establishment Year): 1937

संस्थापक (Founded By): एम. चिदम्बरम चेटिट्यार

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): चेन्नई (तमिलनाडु)

- इंडियन ऑवरसीज बैंक (आईओबी) की संस्थापना श्री एम. शी. टी. एम. चिदम्बरम चेटिट्यार ने की जो बैंकिंग बीमा व उद्योग डैशे विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्ति थी। बैंक की संस्थापना उन्होंने दो उद्देश्यों से की थी— विदेशीविनियम व्यवसाय तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता।
- आई.ओ.बी. की यह एक झगोली विशेषता थी कि 10 फरवरी 1937 (उद्घाटन दिवस को ही) को